①

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के सहायक अनुदान गैर वेतन मद से बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये टर्म लोन के बकाये मूलराशि की एकमुश्त अदायगी हेतु कुल ₹21,95,00,000/– (इक्कीस करोड़ पंचानवे लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

NSKFDC को मूलधन की राशि का बकाया भुगतान करने से बिहार राज्य अनु० जाति सहकारिता विकास निगम लि०, पटना अपने ऋण दायित्वों से मुक्त हो सकेगा।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव

(2)

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
(नागरिक सुरक्षा निदेशालय)

।। प्रेस नोट ।।

'बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2017' के नियम–6(2) एवं 8 में विहित क्रमशः आशुलिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा एवं परिवीक्षा अवधि में संशोधन हेतु 'बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026' का गठन किया जायेगा। इसके फलस्वरूप आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष हो जायेगी तथा उक्त पद हेतु परिवीक्षा अवधि 02 (दो) वर्ष के स्थान पर 01 (एक) वर्ष हो जायेगी।

उक्त संशोधन से इण्डरमीडिएट पास कर चुके राज्य के सुयोग्य युवा अभ्यर्थियों को कम उम्र में ही सरकारी सेवा में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही, परिवीक्षा अवधि कम होने से नवनियुक्त कर्मियों की सेवा शीघ्र सम्पुष्ट हो सकेगी।

(संतोष कुमार मल्ल)
सरकार के प्रधान सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

(3) 36/40

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

संचिका संख्या–4सं. / वि.2–20 / 2025

प्रेस नोट

कला एवं संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन "बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तूप समिति" के गठन एवं सोसायटीज निबंधन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत निबंधन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। "बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह– स्मृति स्तूप, वैशाली" का संचालन एवं प्रबन्धन एक समिति बनाकर कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थान के रूप में किये जाने से परिसर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव।

(4)

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

वर्ष 2026 में राज्यान्तर्गत 05 प्रमुख नदियों यथा–सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम–131 ज्ञ(छ) के तहत नामांकन के आधार पर सेन्ट्रल माइन प्लांनिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि0 (CMPDI) से कराने हेतु राशि ₹2,32,69,600/–(रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख उनहत्तर हजार छः सौ मात्र) की स्वीकृति दी गई है। इससे प्रमुख नदियों में वर्षा ऋतु में बालू के पुनर्भरण की जानकारी मिल सकेगी, जिसके आधार पर पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर बालू की निकासी की जा सकेगी।

08/06/2026

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव

(5)

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्यान्तर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिह्नित पत्थर भूखण्डों की ई–नीलामी से पूर्व खनन योजना तैयार कराने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी नामित किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती के पश्चात् संचालन हेतु पत्थर भूखण्डों का खनन योजना तैयार कराना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। वर्त्तमान में खनन योजना अनुमोदन कराने सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में लगभग 250 दिनों का समय लगता है, जिससे राज्य सरकार को अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्ति में विलम्ब के साथ–साथ पत्थर की आपूर्ति भी प्रभावित होती है।

इस व्यवस्था से बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड जिन पत्थर भूखण्डों का नीलामी के पूर्व खनन योजना तैयार कराना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना चाहेगा, उन पत्थर भूखण्डों का निदेशक मंडल के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर नीलामी के पूर्व खनन योजना तैयार करा सकेगा एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर सकेगा। उक्त पत्थर भूखण्ड के नीलामी के पश्चात् उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति को स्थानान्तरित किया जाएगा एवं इस पर हुए व्यय की वसूली खनिज समानुदान धारक/बंदोबस्तधारी से की जाएगी।

इसके फलस्वरूप पत्थर भूखण्डों का नीलामी के पश्चात् शीघ्र संचालन सुनिश्चित हो सकेगा तथा विभिन्न विकासात्मक एवं आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं हेतु पत्थर की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित् की जा सकेगी। साथ ही राज्य सरकार को समय पर राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी।

14/06/2016

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग

6

बिहार सरकार

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

।। प्रेस नोट ।।

ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि क्रय–विक्रय/स्थानान्तरण पर अधिरोपित रोक के मद्देनजर भू–स्वामियों की तात्कालिक आवश्यकता के कारण बिहार राज्य आवास बोर्ड को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत भूमि के क्रय के लिए अधिकृत करने, सरकारी प्राधिकार को भू–अर्जन तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजना हेतु संबंधित निवेशक को भूमि क्रय/लीज करने की अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है।

उक्त कार्य से भू–स्वामी तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकेंगे। साथ ही सरकारी प्राधिकार अपनी योजनाओं के लिए भूमि का प्रबंध कर सकेगी एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के लिए भी भूमि क्रय/लीज किया जा सकेगा।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(7)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (बुडको) एवं पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट के बीच बुद्ध स्मृति पार्क में BLOCK 'A' एवं BLOCK 'B' में निःशुल्क ध्यान केन्द्र के संचालन हेतु एकरारनामा की अवधि 10 (दस) वर्षों के लिए विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।

(विनय कुमार)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(8)

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार भारतीय सभ्यता के प्रमुख केन्द्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा गंगा नदी इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है। गंगा एवं सिंधु दोनों नदियाँ भारत की सांस्कृतिक एकता की प्रतीक हैं। इस आधार पर राज्य के निवासियों की पर्यटकीय अकांक्षाओं तथा धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं के दृष्टिगत सिंधु–दर्शन तीर्थयात्रा का वृहद महत्व है।

इस यात्रा में होने वाले अत्यधिक व्यय के कारण राज्य के निवासियों को इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक यात्रा को पूर्ण करने में कठिनाई होती है। देश के कई अन्य राज्यों यथा उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश इत्यादि के द्वारा तीर्थयात्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। इन तथ्यों के आलोक में बिहार के स्थायी निवासियों को लद्दाख स्थित सिंधु नदी के दर्शन एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के उद्देश्य से सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 की रूप–रेखा तैयार की गयी है। इस योजना की स्वीकृति के फलस्वरूप तीर्थ यात्रा में होने वाले अत्याधिक व्यय के कारण वंचित श्रद्धालु भी इस यात्रा को पूर्ण कर सकेंगे।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के मूल निवासियों को तीर्थ यात्रा पूर्ण करने के उपरांत यात्रा–व्यय के आधार पर यात्रा व्यय के 50 प्रतिशत अथवा 20,000/– (बीस हजार) रूपये मात्र प्रति तीर्थ यात्री, जो कम हो, की प्रतिपूर्ति अनुदान के रूप में की जायेगी।

उपरोक्त के आलोक में सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

16/6/2026

9

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 एवं इससे सम्बन्धित दिशा–निर्देश की स्वीकृति के संबंध में।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य होमस्टे सुविधा प्रदाता को प्रति कमरे की दर से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। साथ ही आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ायें। इससे पर्यटन उद्योग एवं ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

उक्त योजना के अंतर्गत अधिकतम 08 कमरे तक के लिये होमस्टे में निबंधन कराया जा सकता है। वित्तीय प्रोत्साहन के तहत प्रति कमरे रू० 2,50,000/– की दर से अधिकतम 04 कमरों हेतु रू0 10,00,000/– की कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जायेगी। महिला, स्वयं सहायता समूह (SHG), आवेदन के समय 18 से 25 वर्ष के आयु के युवा/युवती उद्यमी द्वारा संचालित होमस्टे को प्रोत्साहन के रूप में 25 हजार रूपये प्रति कमरे की दर से अतिरिक्त राशि दी जायेगी अर्थात् अधिकतम कुल 11 लाख रूपये दी जायेगी।

प्रथम चरण में स्वीकृति के अनुसार अगले 5 क्रमिक वित्तीय वर्षों में 1000 कमरों को होमस्टे प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निबंधित करने का लक्ष्य है, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन राशि पर लगभग रू० 25 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

पर्यटकों को बिहार भ्रमण के दौरान आवासन के विकल्प के रूप में पर्यटन स्थल के समीप आवासन की सुविधा तथा सुखद अनुभव प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद् द्वारा "मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026" योजना एवं इससे सम्बन्धित दिशा–निर्देश की स्वीकृति दी गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

(10)

प्रेस विज्ञप्ति

सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन एवं दुर्घटना नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु पीपीपी मॉडल पर Intelligent Traffic Management System (ITMS) की स्थापना एवं क्रियान्वयन किया जाना है।

इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन एवं दुर्घटना नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु Public Private Partnership (PPP) मॉडल पर प्रथम चरण में 200 स्थलों तथा आगामी चरण में अतिरिक्त 300 स्थलों पर Intelligent Traffic Management System (ITMS) परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसका उद्देश्य पूर्णतः यातायात नियमों का अनुपालन एवं यातायात उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध स्वचालित चालान निर्गमण का क्रियान्वयन होना है। इस परियोजना की स्थापना, क्रियान्वयन एवं रख–रखाव सहित आगामी 10 वर्षो (2026–27 से 2037–38) के लिए बिहार सड़क सुरक्षा निधि से रू0 622.04 करोड़ (छह सौ बाईस करोड़ चार लाख) की व्यय संभावित है।

इससे आमजन मोटरवाहन अधिनियम का अनुपालन करने हेतु सजग होंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकेगी।

(राज कुमार)
सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

(11)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
प्रेस नोट

बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग– II भर्ती नियमावली, 2019 के नियम –8 में संविदा नियोजित सहायक अभियंताओं के नियमित नियुक्ति परीक्षाओं में अधिमानता का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि सभी कार्य विभागों का अलग–अलग अभियंत्रण संवर्ग है तथा वे अपने नियंत्रणाधीन संवर्ग की रिक्तियाँ बिहार लोक सेवा आयोग को अलग–अलग अधियाचित करते है। उक्त अधियाचना के आधार पर आयोग द्वारा अलग–अलग नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसी स्थिति में अधिमानता अंक का लाभ प्राप्त कर एक ही संविदा नियोजित सहायक अभियंता नियुक्ति हेतु एक से अधिक कार्य विभागों में अनुशंसित किये जाते है। फलस्वरूप ऐसे संविदा नियोजित सहायक अभियंता अन्ततः एक ही विभाग में नियुक्त होते है। इससे जहाँ अन्य कार्य विभागों में इनकी नियुक्ति की अनुशंसा व्यर्थ हो जाती है, वही अन्य अभ्यिार्थियों के चयन अवसर कम हो जाते है। ऐसी स्थित न हो, इसके लिए बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग– II भर्ती नियमावली, 2019 के नियम–8 में संशोधन आवश्यक है।

अतः बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग– II भर्ती नियमावली, 2019 के नियम –8 में उप नियम–(5) (iv) एवं (v) निम्नवत् जोड़ा जायेगा–

"8 (5) (iv) किसी संविदा नियोजन सहायक अभियंता के संविदा नियोजन के फलस्वरूप अंकों की अधिमानता का लाभ देते हुए, किसी एक कार्य विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा चयनित/अनुशंसित होने पर भविष्य में उन्हें सहायक अभियंता संवर्ग में नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में संविदा नियोजन के आधार पर अंकों की अधिमानता का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। आयोग द्वारा अधिमानता अंक का लाभ दिये बिना ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व विचारणीय होगा।

(iv) उप कंडिका–(iv) का निर्णय पूर्व में प्रकाशित ऐसे विज्ञापनों पर भी प्रभावी होगा, जिनकी चयन प्रक्रिया सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।"

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

12

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

पथ निर्माण विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित बिहार तकनीकी सेवा नियमावली 1999 के नियम–7 में मूल कोटि के पद (शोध सहायक) पर चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के अतिरिक्त 100 अंको का अंतर्वीक्षा का प्रावधान है, जबकि जल संसाधन विभाग, बिहार के नियमावली में अंतर्वीक्षा का प्रावधान नहीं है तथा दोनों विभाग के नियमावली में अभ्यर्थियों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं प्रतियोगिता परीक्षा के विषयों में भिन्नता है। साथ ही उक्त नियम में नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को संसूचित किये जाने का प्रावधान है, किन्तु बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 के आलोक में शोध सहायक की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन बिहार तकनीकी चयन आयोग द्वारा किया जाना है।

अतः जल संसाधन विभाग, बिहार के नियमावली से एकरूपता निर्धारित करने हेतु बिहार तकनीकी सेवा नियमावली 1999 के नियम–(7) (शोध सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया) को संशोधित कर शोध सहायक के चयन प्रक्रिया से अंतर्वीक्षा को हटाने, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रतियोगिता परीक्षा के विषयों का पुनर्निर्धारण करने तथा 'बिहार लोक सेवा आयोग' को 'बिहार तकनीकी सेवा आयोग' से प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

13

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेस–नोट

विभिन्न कार्य विभागों (यथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि) के सामान्य लिपिकीय संवर्ग के पदों पर भर्त्ती प्रक्रिया एवं उनकी सेवा शर्त्तो के विनियमन हेतु **"कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2026"** के गठन के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेस–नोट

श्री राजीव कुमार (बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा), सहायक आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सेवाच्युति, "जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी" का दण्ड संसूचन के संबंध में।

(संजय कुमार सिंह)
सचिव।

15

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–28615 दिनांक 30.03.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में बिहार न्यायिक पदाधिकारियों के लिए पटना उच्च न्यायालय में सिविल जज (वरीय कोटि) के रैंक से अन्यून विशेष कार्य पदाधिकारी (पटना उच्च न्यायालय इंफ्रास्ट्रक्चर सेल) का एक (01) पद सृजित करने की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

Rajesh 8.6.2026

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

16

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–8163 दिनांक 29.01.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में मधुबनी न्यायमंडल के अधीन बेनीपट्टी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) पद सृजित करने की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

G:\SEC-07\PAD SRIJAN\PRESS NOTE.docx

(17)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–34352 दिनांक 15.04.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में बार से सीधी भर्ती परीक्षा के तहत जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) के पद पर भर्ती परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु **बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026** की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

Rajeev 16.4.2026

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

D:\sec7\07\Rules\Amendment in Appendix C of Bihar Superior Judicial service rules, 2026\Press Note.docx

64/70

934 (आ॰ नि॰)
16.6.2026

18

संoसंo–16/यू1–08/2021

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

डाo तबरेज अख्तर, अनिवार्य सेवानिवृत प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग–सह–प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को विभागीय ज्ञापांक–605, दिनांक–21.04.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृति की दी गई शास्ति के विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

15.6.26

(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव

D:\MANISHA\Sanlekh\Press Notes.doc

19

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:प्रेस नोटः–

Compliance Reduction & Deregulation Phase-II हेतु उद्योग विभाग के Guidelines के आलोक में NIC के सर्विसप्लस पोर्टल पर Auto Appeal की व्यवस्था करने के निमित बिहार लोक सेवाओं का अधिकार–2011 के नियम–03 एवं 10 को प्रतिस्थापित किया गया है।

हस्ताक्षरः– Rajendra 16.6.2016

नामः– डॉ0 बी0 राजेन्दर,

पदनामः– सरकार के अपर मुख्य सचिव

(उत्तरदायी विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून)

विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

20

–: प्रेस नोट :–

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 (समय–समय पर यथासंशोधित) में ओलम्पिक गेम्स में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी, ओलम्पिक खेलों में शामिल खेल विधा के किसी भी प्रारूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी तथा क्रिकेट खेल विधा के किसी भी प्रारूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा एशियाई गेम्स/राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक विजेता प्रतिभावान/उत्कृष्ट खिलाड़ियों की वेतन स्तर–09 (ग्रेड पे– 5400/–) में, एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल खेल विधा के किसी भी प्रारूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा रजत/कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को वेतन स्तर–07 (ग्रेड पे– 4600/–) एवं नेशनल गेम्स/सीनियर नेशनल चैम्पियनशीप के किसी भी प्रारूप में स्वर्ण/रजत पदक विजेता खिलाड़ी को वेतन स्तर–06 (ग्रेड पे– 4200/–) में नियुक्ति हेतु बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2026 के अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई।

16.6.2026

हस्ताक्षर–
नाम– डॉ0 बी0 राजेन्दर
पदनाम– सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(21)

प्रेस नोट

केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वाराणसी – राँची – कोलकाता एक्सप्रेसवे के समीप कैमूर जिला अन्तर्गत अंचल – चाँद एवं चैनपुर के विभिन्न मौजों में कुल रकबा– 781.18 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु0 2,30,64,97,009.00 (रुपये दो अरब तीस करोड़ चौसठ लाख संत्तानवे हजार नौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से कैमूर जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

(कुन्दन कुमार)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

22

प्रेस नोट

सहरसा जिला अन्तर्गत अंचल– कहरा, मौजा–वनगाँव, देवनागोपाल, तथा बलहर अराजी (उर्फ भेलवा) में कुल रकबा 420.62786 एकड़ भूमि का अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू0 88,01,13,847.00 (रुपये अठासी करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ सौ सैंतालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति हेतु उद्योग विभाग के निर्गत संकल्प ज्ञापांक – 3801 दिनांक – 14.08.2025 में संशोधन करते हुए सहरसा जिला अन्तर्गत अंचल– कहरा मौजा–वनगाँव, थाना नं0– 137, मौजा–देवनागोपाल, थाना नं0–140, 141 एवं 142 में कुल रकबा– 420.625 एकड़ के भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू0 88,01,13,847.00 (रुपये अठासी करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ सौ सैंतालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से सहरसा जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर [redacted] तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

(कुन्दन कुमार)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

(23)

प्रेस नोट

पूर्णिया जिला अन्तर्गत अंचल– कृत्यानन्द नगर के मौजा– अकबराबाद, थाना नं0– 35, रकबा– 46 एकड़ एवं मौजा– गणेशपुर, थाना नं0– 36, रकबा– 91 एकड़ तथा अंचल– बड़हारा कोठी के मौजा– गौरीपुर, थाना नं0– 147/2, रकबा– 130 एकड़ एवं मौजा– बेलापेमू, थाना नं0–, 324, रकबा– 420 एकड़ अर्थात समेकित कुल रकबा– 687 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु0 1,25,32,38,925.00 (रुपये एक अरब पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ पच्चीस रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से पूर्णिया जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

(कुन्दर कुमार)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा विभिन्न शहरों/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा बांधों, बराजों एवं जलाशयों के निकट विभागीय निरीक्षण भवन पूर्व से निर्मित हैं, जिनका उपयोग मुख्यतः विभागीय पदाधिकारियों द्वारा नदियों, नहरों, बांधों, बराजों तथा विभाग द्वारा संचालित अन्य जल संसाधन परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान अस्थायी आवासन हेतु किया जाता है।

समय के साथ, इन परिसंपत्तियों में भौतिक क्षरण देखा गया है, जिसका कारण उनकी बढ़ती उम्र एवं व्यवस्थित आधुनिकीकरण की कमी है। परिणामस्वरूप, इन परिसम्पत्तियों के सामान्य रख–रखाव पर भी प्रतिवर्ष लगभग 15 करोड़ की राशि व्यय होती है।

अतः विभागीय पदाधिकारियों को निरीक्षण एवं आधिकारिक भ्रमण के दौरान अस्थायी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने, आमजनों एवं पर्यटकों के लिये भी आवासन की उच्चस्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा निरीक्षण भवनों के प्रबंधन, अनुरक्षण एवं संचालन में होने वाले सरकारी व्यय के न्यूनीकरण तथा अतिरिक्त राजस्व सृजन के उद्देश्य से विभाग द्वारा यह प्रस्तावित है कि लोक–निजी भागीदारी अथवा मे० एन०बी०सी०सी० (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार एवं अन्य के साथ समझौता–ज्ञापन कर पर्यटकीय संभावना वाले बांधों, बराजों एवं जलाशयों के समीप स्थित निरीक्षण भवनों को ईको–टूरिज्म के अनुकूल आधुनिक आवासन की सुविधाओं के रूप में तथा शहरी एवं प्रमुख स्थानों पर पूर्व से अवस्थित निरीक्षण भवनों को आधुनिक गेस्ट हाउस के रूप में विकसित किया जाय।

प्रस्तावित नीति के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न शहरों/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा बांधों, बराजों एवं जलाशयों के निकट पूर्व से निर्मित श्रेणीबद्ध कुल 217 अदद विभागीय निरीक्षण भवनों को विभिन्न चरणों में निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से निवेशक (संचालक) द्वारा DBOM (Design-Build-Operate-Maintain) मॉडल के अधीन आधुनिकीकरण की योजना है। इस योजना के तहत निवेशक (संचालक) को निरीक्षण भवनों के लिये उपलब्ध भूमि दीर्घकालिक पट्टा अधिकार 30 वर्षों के लिए प्रदान किया जायेगा, जिसे दोनों पक्षों के सहमति से 30 वर्षो की अतिरिक्त समयावधि हेतु विस्तारित किया जा सकेगा।

इस योजना के कार्यान्वयन से विभाग के अधीन वर्तमान में 58 अनुपयोगी/जर्जर/मरम्मति योग्य निरीक्षण भवनों सहित सभी 217 निरीक्षण भवनों का निःशुल्क जीर्णोद्धार किया जा सकेगा। साथ ही आमजनों एवं पर्यटकों के लिये भी बेहतर आवासन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

25

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

गया जिलान्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (आरक्षित वाहिनी) की स्थापना हेतु अंचल–डोभी, मौजा–मुड़ियल, थाना सं0–207, खाता सं0–66, खेसरा सं0–2194 की कुल प्रस्तावित रकवा–50 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–441 को इस हद तक शिथिल करते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

।। प्रेस नोट ।।

बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में श्री राजीव कुमार, निदेशक, बिहार विधान सभा सचिवालय का दिनांक–30.06.2026 को संविदा आधारित नियोजन समाप्त होने के पश्चात् दिनांक–01.07.2026 से एक वर्ष के लिए बिहार विधान सभा सचिवालय में निदेशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

(कुमार रवि)
सचिव।

(27)

प्रेस नोट

वित्त विभाग

बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के परिशिष्ट–3 में कार्याध्यक्षों और अध्यक्षालयों की सूची में क्रमांक–34 पर अंकित "महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार" को विलोपित करने की स्वीकृति दी जाती है।

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय),
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

28

राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों के मध्य पर्यटकों के त्वरित एवं सुगम भ्रमण हेतु मुख्यमंत्री बिहार हेली–टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में उपलब्ध पर्यटकीय स्थलों की विविधता एवं भौतिक अवस्थिति के कारण विभिन्न पर्यटन स्थलों तक सुगम एवं त्वरित पहुँच तथा आरामदायक भ्रमण के लिए हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवाओं के संचालन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बिहार हेली–टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की रूप–रेखा तैयार की गयी है।

इस योजना के संचालन के परिणामस्वरूप पर्यटकों को तीव्र एवं आरामदायक यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी, जिससे पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर्षित किया जा सकेगा। इस योजना का उद्देश्य व्यवसायिक लाभ नहीं, बल्कि पर्यटन प्रोत्साहन एवं क्षेत्रीय संपर्क (Regional Connectivity) है। इस योजना के प्रथम चरण को 15 जुलाई 2026 से 15 जनवरी 2027 तक संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के कुछ मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं :–

(क) इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में वाल्मीकिनगर (पश्चिमी चम्पारण), माँ मुण्डेश्वरी मंदिर (कैमूर) तथा राजगीर (नालन्दा) को शामिल किया गया है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत वाल्मीकिनगर हेतु राजकीय वायुयान तथा कैमूर एवं राजगीर हेतु किराये पर प्राप्त 6+2 सीटर श्रेणी के हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। उक्त दोनों साधनों में प्रति फेरी अधिकतम 05 सीटें आरक्षित की जा सकेगी।

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों एवं पर्यटकों को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के द्वारा रियायती दरों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध करायी जाएगी। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिये पर्यटकों के द्वारा पर्यटन पैकेज का चयन किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत पटना शहर के स्काईलाइन का हवाई दृश्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को हेलीकॉप्टर जॉय राइड का संचालन किया जाना भी प्रस्तावित है, जिसकी दर 2100/– (दो हजार एक सौ) रूपये मात्र प्रति सीट निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में मुख्यमंत्री बिहार हेली–टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

27/6/2026

29

60/70

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

द नेशनल कमीशन फॉर एलायड एण्ड हेल्थ केयर एक्ट 2021 की धारा–68 के आलोक में बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली के द्वारा बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् के संचालन, संरचना एवं विधान, सदस्यों के सेवा–शर्त्ते, नियम एवं कार्य, संस्थानों की स्थापना, वृत्ति (प्रोफेशनल) अध्ययन के नये पाठ्यक्रम की अनुमति, योग्यताओं की मान्यता, निधि एवं मूल्यांकन करने, संस्थाओं के मानकीकरण, मूल्यांकन एवं उसके समन्वित तथा एकीकृत विकास आदि हेतु बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली, 2026 गठित है।

2. जन विश्वास 2.0 एवं नियमों में कमी तथा अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं का सरलीकरण (Deregulation and Compliance Reduction Phase-2) हेतु स्थापित मानकों के अनुसार विभागीय अधिनियम/नियम का सरलीकरण/ विनियमन करने के संबंध में निर्देश प्राप्त है। उक्त के आलोक में बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली, 2026 में स्व–प्रमाणन (Self-Certification) की व्यवस्था की जा रही है। अतएव वर्त्तमान में अधिसूचित नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है।

3. तदालोक में बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली के अंतर्गत स्व–प्रमाणन (Self-Certification) की व्यवस्था करने हेतु बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन का निर्णय लिया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् (संशोधन) नियमावली, 2026 (Bihar State Allied and Healthcare Council (Amendment) Rules, 2026) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

186(4A)
16/06/2026

16/6/26
विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।